

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 46/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/52

प्रार्थी :-

अप्रार्थीगण :-

1. शंकरलाल पुत्र बस्तीमल,
जाति कलाल निवासी
लुणावा, तहसील बाली
जिला पाली राज.

बनाम

1. स्वर्गीय कमलाबेन पत्नी खेतमल
के कायम मुकाम वारिसान
1.1 हसमुखलाल पुत्र कमलाबेन
जाति जैन, निवासी ग्राम लुणावा
तहसील बाली हाल निवासी
A-1 Poonam Park,
Lalbug Ind Estate,
Lalbug Mumbai-12
2. ग्राम पंचायत लूणावा, जरिये
सरपंच ग्राम पंचायत लुणावा,
तहसील बाली जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी संख्या : 83/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/97

2. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र शंकरलाल
जाति कलाल, निवासी
लुणावा, तहसील बाली
जिला पाली राज. मो.न.
9785487798

1. श्री हसमुखलाल पुत्र खेतमल
जाति जैन निवासी लुणावा,
तहसील बाली, जिला पाली(राज.)
हाल ए-1, Poonam Park,
Lalbug Ind Estate,
Lalbugh, Mumbai-12
2. ग्राम पंचायत लुणावा, तहसील
बाली, जिला पाली राज. जरिये
सरपंच

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल चौहान।

निर्णय:-

दिनांक: 12.02.2025

पंचायत निगरानी संख्या 83/2024 एवं 46/2024 एक समान मजमून से संबंधित होने के कारण संयुक्त रूप से निर्णीत करने का निर्णय लिया जाता है। हस्तगत दोनो प्रकरण एक ही निर्णय से शासित एवं विनिश्चित होंगे।

पंचायत निगरानी याचिका 46/2024 के संक्षेप में तथ्य इसप्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 श्रीमती कमला बेन ने प्रधान पंचायत समिति बाली के समक्ष एक अपील प्रार्थी शंकरलाल एवं अप्रार्थी ग्राम पंचायत लुणावा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 61 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रस्तुत की थी ओर मुख्य रूप से यह कथन किये थे कि उसके पति एवं उनके भाईयों का

जति. राज. जिला कलक्टर
पाली, जिला-पाली
P.T.O.



आधिपत्य एवं स्वामित्व का एक पुश्तैनी भूखण्ड ग्राम लुणावा सेवाडी मार्ग पर आया हुआ है उसके पति का देहांत हो चुका है और उक्त भूखण्ड के आगे के भाग को हड़पने के लिए शंकरलाल ने तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर शुदा एक फर्जी स्वामित्व प्रमाण पत्र पेश किया जो स्वामित्व प्रमाण पत्र विधि अनुसार नहीं होने से निरस्त योग्य है और उक्त स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं था। उक्त स्वामित्व प्रमाण पत्र पिछली तारीख में जारी करवाया है। स्वामित्व प्रमाण पत्र जिस लेटर हेड पर जारी किया गया है वह ग्राम पंचायत लुणावा के लेटरहेड से मिलान नहीं करता है। पंचायत राज अधिनियम में स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान नहीं है। स्वामित्व प्रमाण पत्र के डिसपेच नम्बर का इन्द्राज पंचायत रिकॉर्ड में नहीं है। स्वामित्व प्रमाण पत्र से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र व जांच नम्बर, डिसपेच नम्बर का इन्द्राज पंचायत रिकॉर्ड में नहीं है। भूखण्ड के दरवाजे के आगे का स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता। स्वामित्व प्रमाण पत्र का कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में नहीं है और यह तथ्य दर्ज करते हुए अपील प्रस्तुत कर दिनांक 23.10.2009 को जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र को निरस्त करने का अनुतोष चाहा था।

यह कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपील के संबंध में प्रार्थी के पुत्रों ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किए थे कि प्रार्थी ने अपनी पैतृक सम्पत्ति होने से तत्कालीन सरपंच महोदय ने जांच कर पुराना पुश्तैनी स्वामित्व, मालिकाना हक कब्जे के आधार पर दिनांक 23.10.2009 को एक स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसमें बकायदा मय पड़ौस एवं नाप अंकित कर अपने हस्ताक्षर सील सहित लगाकर सुपुर्द किया गया था और उक्त स्वामित्व प्रमाण पत्र के आधार पर बाली सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होकर अपने जायंदा पुत्र जगदीश कुमार व धर्मनन्द कुमार के नाम नियमानुसार स्वामित्व प्रमाण पत्र के आधार पर बेचाणनामा का दस्तावेज तहरीर व तकमील कर पंजीयन करवाया था। यह भी कथन किया था कि प्रार्थी के पुत्रगण के नाम उक्त पुश्तैनी सम्पत्ति रजिस्टर्ड बेचाण होने के बाद जगदीश कुमार व धर्मनन्द कुमार ने रजिस्टर्ड बेचाण के दस्तावेज के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत लुणावा को अपना पट्टा बनाने हेतु एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। यह भी कथन किया था कि उस पट्टा पत्रावली में पट्टा जारी करने के आदेश भी दिये हुए हैं। यह भी कथन किये गये थे कि जिस भूखण्ड का स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उस भूखण्ड के उत्तर दिशा में स्थित भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा कालुसिंह निवासी बारवा के नाम का जारी हो रखा है। परन्तु कालुसिंह के पक्ष में जो पट्टा जारी हो रखा है उसमें त्रुटिवश दक्षिण के बजाय उत्तर में शंकरलाल का पड़ौस दर्ज हो रखा है और जिस भूखण्ड का स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया गया है उस भूखण्ड के दक्षिण में जो भूखण्ड स्थित है उस भूखण्ड का पट्टा बाबुलाल पुत्र गोमाजी, जाति कुम्हार निवासी लुणावा के पक्ष में जारी हो रखा है। उस पट्टे में जो पड़ौस दर्ज हो रखे है उसमें उत्तर में छगनलाल पुत्र बस्तीमल कलाल नाम दर्ज हो रखा है जो वास्तव में प्रार्थी शंकरलाल ही है यह तथ्य इससे भी प्रकट होता है कि बाबुलाल ने जो अपना पट्टा बनवाने हेतु पत्रावली पेश की थी उसमें जिन दो गवाहों के बयान करवाए थे उन्होंने

अभिनिता जिला कलेक्टर

P.T.O.



उत्तर में शंकरलाल उर्फ छगनलाल पुत्र बस्तीमल कलाल का प्लोट होना बताया था और उस आधार पर बाबुलाल के पक्ष में पट्टा जारी करते समय जो उत्तर दिशा के पड़ौस लिखे गये उसमें शंकरलाल उर्फ छगनलाल की जगह सिर्फ छगनलाल दर्ज हुआ है और उसके साथ प्रार्थी के पुत्रों ने दस्तावेज भी प्रस्तुत किये थे।

यह कि विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली ने पुनरीक्षणधीन निर्णय/ आदेश एवं प्रशासन एवं स्थाई स्थापना समिति बाली पंचायत समिति बाली ने प्रस्ताव पारित करने से पहले प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना पुनरीक्षणधीन आदेश पारित कर दिया। प्रार्थी के पास जरिये रजिस्टर्ड डाक एक लिफाला दिनांक 03.12.2019 को प्राप्त हुआ जिसमें कार्यालय पंचायत समिति बाली, जिला पाली राजस्थान द्वारा जारी पत्र क्रमांक पंसबा/पंचायत/2019/1636 दिनांक 24.07.2019 प्राप्त हुआ जिसमें निर्णय अपील संख्या 09/23.03.2017 प्राप्त हुआ तब पहली बार प्रार्थी को पुनरीक्षणधीन आदेश/निर्णय की जानकारी हुई।

रिविजन के आधार :-

यह कि पुनरीक्षणधीन निर्णय/आदेश एवं प्रस्ताव पारित करने का एक आधार यह बनाया गया कि स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 व नियम 1996 में कोई प्रावधान नहीं है। यह आधार बनाने में तथ्यों एवं विधि की भूल की है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 व नियम 1996 में भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने की कोई मनाही नहीं है और जब अधिनियम व नियमों में स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने की कोई मनाही नहीं है।

यह कि, पुनरीक्षणधीन निर्णय/आदेश एवं प्रस्ताव पारित करने एक आधार यह बनाया गया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र की आबादी भूमि के निस्तारण हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 163 तक प्रावधान किये गये हैं और उक्त भूमि का निस्तारण उक्त प्रावधान के तहत नहीं किया गया। यह आधार बनाने में भी तथ्यों एवं विधि की भूल की है। ग्राम पंचायत ने भूमि का निस्तारण नहीं किया था। अपितु प्रार्थी के आवेदन पर केवल मात्र स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया गया था। जिसमें राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 163 की पालना करना आवश्यक नहीं था इस कारण यह आधार बनाने में भी तथ्यों एवं विधि की भूल की है।

यह कि पुनरीक्षणधीन निर्णय/आदेश एवं प्रस्ताव पारित करने का एक आधार यह बनाया गया कि स्वामित्व प्रमाण पत्र परिवादीया की पुश्तैनी पट्टा सुदा भूमि के दरवाजे के आगे की भूमि का जारी किया गया है। यह आधार बनाने में भी तथ्यों एवं विधि की भूल की गई है जो किसी भी रूप में परिवादीया की पुश्तैनी पट्टा सुदा भूमि के दरवाजे के आगे की भूमि का जारी नहीं किया गया था और उक्त स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने से परिवादी की भूमि में आने जाने का रास्ता बंद नहीं हो रहा था।

यह कि, राज्य सरकार द्वारा ऐसे कोई निर्देश कभी भी जारी नहीं किये गये हैं और राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने पर कभी कोई रोक नहीं लगाई गयी है।

—
अभिजात जिला कलेक्टर
जिला, पाली



यह कि, अपील की सुनवाई हेतु पंचायत समिति की एक स्थाई समिति का गठन होना चाहिए था और वह स्थाई समिति उस पर विधि अनुसार कार्यवाही करती है। परन्तु इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई और विधि विरुद्ध तरीके से पुनरीक्षणाधीन निर्णय/आदेश पारित किया गया है जो तथ्यों एवं विधि विरुद्ध पारित किया गया है।

यह कि, पुनरीक्षणाधीन निर्णय आदेश से संबंधित आदेशिकाओं का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि दिनांक दायर 23.03.2017 अंकित की गयी है परन्तु दिनांक 23.03.2017 को अपील दर्ज करने के कोई आदेश नहीं है। प्रथम आदेशिका दिनांक 26.03.2018 है, दिनांक 23.03.2017 से 26.03.2018 तक की कार्यवाहीयो की कोई आदेशिका, कोई बैठक, कोई प्रस्ताव पत्रावली में नहीं है। दिनांक 26.03.2018 की कार्यवाही मे भी आगे की कोई तारीख तय नहीं की गयी है।

यह कि, पत्रावली में विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 25.03.2017 को पत्र जारी होना लगा हुआ है। दिनांक 25.03.2017 को विकास अधिकारी ने पत्र किस आदेश से जारी किया यह पत्रावली से प्रकट नहीं है और दिनांक 25.03.2017 तक तो उक्त अपील पंचायत समिति या पंचायत समिति की स्थाई समिति और विकास अधिकारी के समक्ष पेश ही नहीं हुई थी और उक्त पत्र मे वर्णित व्यक्तियों को सम्बोधित करते हुए उक्त पत्र जारी करने का विकास अधिकारी को अधिकार ही नहीं था। पत्रावली में दिनांक 30.03.2017 का जितेन्द्र कुमार, तगुदेवी और कमला देवी का एक प्रार्थना पत्र लगा हुआ है। इस पत्रावली में कब पेश हुआ किसके समक्ष प्रस्तुत हुआ, इस पत्रावली में कैसे लगा इस पत्रावली से कैसे संबंधित था इसका कोई जिक्र पूरी पत्रावली में नहीं है।

यह कि, पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट है कि विकास अधिकारी द्वारा सरपंच/ग्राम सेवक/पदेन सचिव ग्राम पंचायत लुणावा को मूल रिकॉर्ड एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट टिप्पणी हेतु दिनांक 20.04.2017 को पत्र दिनांक 15.05.2017 को रिमाइण्डर जारी हो रखे है जबकि ऐसा पत्र एवं रिमाइण्डर जारी करने का पंचायत समिति की किसी स्थाई समिति ने कोई प्रस्ताव नहीं लिया था।

यह कि, आदेशिका दिनांक 26.03.2018 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पूर्व में यदि कोई कार्यवाही हुयी तो वह कोरम के द्वारा प्रस्ताव पारित कर नहीं हुई थी।

यह कि, पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका दिनांक 07.01.2019 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि इस आदेशिका मे भी प्रधान ने स्वामित्व प्रमाण पत्र खारिज करने का निर्णय ले लिया था। जबकि इस दिनांक तक तो ग्राम पंचायत लुणावा की रिपोर्ट ही प्राप्त नहीं हुई थी।

यह कि, पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका दिनांक 03.06.2019 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि इस आदेशिका में एक बार पुनः स्वामित्व प्रमाण पत्र खारिज करने का उल्लेख किया गया है परन्तु अलग से कोई निर्णय लिखे जाने का उल्लेख नहीं है फिर भी विकास अधिकारी ने अपने स्तर पर निर्णय लिखकर प्रार्थी को रजिस्टर्ड पत्र से भिजवा दिया।

यह कि, पत्रावली में पंचायत समिति की किसी भी स्थाई समिति का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि प्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया स्वामित्व प्रमाण पत्र निरस्त किया जावे। फिर भी

अभिजात सिंह कलेक्टर
पंचायत समिति लुणावा
P.T.O.



विकास अधिकारी बाली ने अपने निर्णय दिनांक 24.07.2019 में दर्ज किया है कि कोरम द्वारा प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति की बैठक दिनांक 03.06.2019 में प्रस्ताव संख्या 14 में सर्वसहमति से पारित कर निर्णय लिखा गया है जबकि ऐसा कोई प्रस्ताव पत्रावली में मौजूद नहीं है इस कारण जो पुरी प्रक्रिया अपनाई गई है वह सम्पूर्ण प्रक्रिया अपने आप में दुषित प्रक्रिया है। अगर दिनांक 03.06.2019 को कोरम द्वारा कोई प्रस्ताव संख्या 14 प्रार्थी के विरुद्ध जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने का लिया गया है वह भी विधि विरुद्ध है जो निरस्त योग्य है।

यह कि, पत्रावली में जो ग्राम पंचायत लुणावा की रिपोर्ट दिनांक 01.06.2019 लगी हुई है उसमें यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि प्रार्थी की भूमि के पड़ोस में कालुसिंह और बाबुलाल के भूखण्ड स्थित है और उन भूखण्डों के पट्टे उक्त रिपोर्ट के साथ भिजवाये गये थे जिनमें पड़ोस प्रार्थी को दर्शाया गया है जिन पर कोई गौर नहीं किया गया और उक्त पुनरीक्षणार्थी निर्णय/आदेश पारित कर दिया। उस रिपोर्ट में यह भी दर्ज था कि कमला बेन जहां अपना पट्टाशुदा भूखण्ड होना बताती है ऐसा कोई भूखण्ड का पट्टा और स्वामित्व प्रमाण पत्र उनके रिकॉर्ड में नहीं था और उसके तथाकथित भूखण्ड से संबंधित कोई पट्टा, कोई मिसल, कोई स्वामित्व प्रमाण पत्र पंचायत में नहीं था तो प्रार्थी के पक्ष में जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र को चुनौति देने का कमला बेन को अधिकार ही नहीं था इस तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया गया है।

यह कि, पत्रावली में एक दिनांक 04.01.2019 की मौका रिपोर्ट होना बताया गया है उसका अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वह कोई मौका रिपोर्ट नहीं है उसमें तो कानून के और प्रावधानों की बातें की गयी हैं और राय दी गयी है इन परिस्थितियों में वह रिपोर्ट कोई मौका रिपोर्ट थी ही नहीं।

यह कि, सम्पूर्ण पत्रावली में यह भी दर्ज नहीं है कि कौनसे स्थाई समिति के कोई सदस्य थे और कितने सदस्य थे।

यह कि कमला बेन ने अपने कूट रचित व फर्जी पट्टे को आधार बनाकर बिना किसी कारण के यह आपत्ति कर दी कि उसके पट्टे में दर्ज दरवाजे के आगे रोड़ के बीच की भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी कर दिया जब कमला बेन स्वयं के पट्टे का पंचायत में कोई अस्तित्व ही नहीं था तो कमला बेन का कौनसा तो भूखण्ड था और कौनसा उसका दरवाजा था यह कही भी किसी भी रूप में प्रकट में नहीं था इसके विपरीत जहां पर प्रार्थी काबिज है उसकी बिल्डींग लाईन में अन्य लोग भी काबिज हैं और प्रार्थी के दोनों तरफ के पड़ोस के पट्टे जारी हो रखे हैं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी कि प्रार्थी जहां काबिज हो वह रास्ते की जमीन हो। स्पष्ट रूप से कमला बेन ने अपने कूट रचित फर्जी पट्टे की आड़ में रजिस्टर्ड बेचाननामों को खारिज करवाना चाहा था। जिसको उसको कोई अधिकार नहीं था।

यह कि, कमला बेन ग्राम लुणावा में रहती ही नहीं है, मुम्बई में रहती है और कमला बेन के परिवार का कोई सदस्य भी लुणावा में नहीं रहता है। इस तथ्य पर भी कोई गौर नहीं किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पार्ली, जिला-पार्ली
P.T.O.



यह है कि कमला बेन ने अपील म्याद बाहर पेश की थी उसका साथ देरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उस प्रार्थना पत्र का निर्णय ही नहीं किया। देरी माफी ही नहीं की तो अपील म्याद बाहर होने के आधार पर ही खारिज होने योग्य है। इस तथ्य पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। निर्णय में उल्लेखित जैसा कोई प्रस्ताव संख्या 14 रिकॉर्ड में नहीं है।

अतः पुनरीक्षणाधीन निर्णय/आदेश दिनांक 24.07.2019, 03.06.2019 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए ओर कोई आदेश प्रार्थी के पक्ष में जारी किया जाना उचित हो, तो पारित फरमावे।


इसी प्रकार पंचायत निगरानी याचिका संख्या 83/2024 अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत पेश कर ग्राम पंचायत लुणावा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक श्री हसमुखलाल के नाम से मिसल संख्या 67/2020-21 तारीख दायरा 22.03.2021 के द्वारा संकल्प संख्या 6, दिनांक 05.08.2021, आबादी भूमि का विक्रय विलेख संख्या 256 दिनांक 13.09.2021 को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की।

इस निगरानी याचिका अनुसार अप्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में एक आबादी भूमि का विक्रय विलेख संख्या 256 दिनांक 23.09.2021, संकल्प संख्या 06 दिनांक 05.08.2021 की पालना में 3,27980/- रुपये में निम्न पड़ौस बीच भूमि का जारी किया है:-

- उत्तर में – श्री फूटरमल का मकान
- दक्षिण में:- श्री बाबुलाल पुत्र गोमाजी कुमावत की दुकान
- पूर्व में बाली सेवाडी रोड़ एवं मुख्य दरवाजा
- पश्चिम में :- श्री हसमुखलाल स्वयं का मकान, नाप 20 फीट बाई 60 कुल 1200 वर्गफीट

उक्त वादग्रस्त विक्रय विलेख जिस भूमि का जारी किया गया है उसी भूमि का स्वामित्व का प्रमाण पत्र दिनांक 23.10.2009 को अप्रार्थी संख्या दो ने प्रार्थी के पिता शंकरलाल के पक्ष में जारी किया था, जिस स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 23.10.2009 के आधार पर प्रार्थी के पिता ने यह भूमि प्रार्थी और उसके भाई जगदीश कुमार को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 26.10.2009 के बेचाण की थी, जिस बेचाननामों के आधार पर प्रार्थी और प्रार्थी के भाई ने अप्रार्थी संख्या दो के यहां पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था, जिस पर मिसल संख्या 316/2012-13 दिनांक 18.03.2013 को दायर हुआ था और उसका फैसला दिनांक 20.09.2013 को हुआ था और इसी भूमि का भूमि विक्रय विलेख प्रार्थी और प्रार्थी के भाई के पक्ष में जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये थे, जो तथ्य अप्रार्थीगण की जानकारी में है।

अप्रार्थी संख्या एक की माता श्रीमती कमला बेन ने गलत व झूठे आधारों पर कार्यवाही कर प्रार्थी के पिता के पक्ष में जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र को प्रार्थी के पिता की जानकारी के बिना निरस्त करवाने की कार्यवाही की थी और गलत रूप से निरस्त करवाने का आदेश पारित करवाया था, जिसके विरुद्ध प्रार्थी के पिता ने श्रीमान् के न्यायालय में एक रीविजन अन्तर्गत


 अधीक्षक न्यायाधीश
 न्यायालय
 P.T.O.

धारा 97 अप्रार्थी संख्या एक की माता कमला और अप्रार्थी संख्या दो के विरुद्ध प्रस्तुत की थी, जो निगरानी प्रार्थी शंकरलाल बनाम अप्रार्थीगण श्रीमती कमला व अन्य निगरानी संख्या 71/2019 श्रीमान् के न्यायालय में विचाराधीन है।


यह कि, प्रार्थी के पिता के पक्ष में जो स्वामित्व का प्रमाण पत्र इसी भूमि का जारी हो रखा है और जिस संबंध में अपील श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन है और उस स्वामित्व प्रमाण पत्र के आधार पर इसी भूमि का बेचाननामा प्रार्थी व प्रार्थी के भाई का कब्जा है, उस आधार पर अप्रार्थी संख्या दो ने प्रार्थी व प्रार्थी के भाई के पक्ष में विक्रय विलेख जारी करने के आदेश कर रखे हैं उन परिस्थितियों में अप्रार्थी संख्या दो इसी भूमि का वादग्रस्त विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जारी करने का अधिकार ही नहीं था, उसके बावजूद विधि विरुद्ध तरीके से वादग्रस्त विक्रय विलेख जारी किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि, अप्रार्थी संख्या दो ने वादग्रस्त विक्रय विलेख जारी करने से पूर्व प्रार्थी को और प्रार्थी के भाई तथा पिता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया और वादग्रस्त विक्रय विलेख जारी करने से पूर्व जा. राज. पंचायती राज अधिनियम में सुस्थापित प्रक्रिया है, उसकी भी पालना नहीं की।

यह कि, दिनांक 16.01.2022 को अप्रार्थी संख्या एक अपने आदमियों को लेकर मौके पर आया और इस भूमि पर अवैध रूप से नीवें खोदकर निर्माण करने पर अमादा हुआ, तब प्रार्थी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने प्रार्थी को बताया कि उसने इस भूमि का वादग्रस्त विक्रय विलेख अपने पक्ष में जारी करवा लिया है, तब प्रार्थी ने दिनांक 17.01.2022 को अप्रार्थी संख्या दो के यहां वादग्रस्त विक्रय विलेख और उससे संबंधित मिसल और संकल्प संख्या 6 की प्रमाणित प्रति की मांग की तो प्रार्थी को सिर्फ वादग्रस्त विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई गई, शेष सम्पूर्ण मिसल और संकल्प संख्या 06 की प्रमाणित प्रतिलिपि उनके पास नहीं होना कहकर उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

यह कि, वादग्रस्त विक्रय विलेख 3,27,980/- रुपये में जारी करना बताया है जो कि जारी करने का अप्रार्थी संख्या 02 को अधिकार ही नहीं है, इस कारण भी वादग्रस्त विक्रय विलेख और उससे संबंधित संकल्प संख्या 06 अपास्त किये जाने योग्य है।

यह कि, वादग्रस्त विक्रय विलेख राज. पंचायती राज. अधिनियम, 1996 के नियम 150 से 152 के अनुसरण में जारी करना बताया गया है। परन्तु राज. पंचायती राज. नियम के नियम 150 से 152 के अनुसरण में इस भूमि का विक्रय विलेख 3,27,980/- रुपये में अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जारी ही नहीं किया जा सकता है, इस कारण भी वादग्रस्त विक्रय विलेख अपास्त किये जाने योग्य है।


अतिरिक्त जलकालीन
वासी, जिला-पाली

P.T.O.



यह कि, इस वादग्रस्त विक्रय विलेख में उल्लेखित मिसल संख्या 67/2020-21 जैसी कोई मिसल न तो कायम की गई, न ही इस वादग्रस्त विक्रय विलेख में उल्लेखित जैसा कोई संकल्प संख्या 6 पारित किया गया और उसके बिना ही वादग्रस्त विक्रय विलेख जारी किया गया है।

यह कि वादग्रस्त विक्रय विलेख जिस भूमि का जारी किया गया है उस भूमि का स्वामित्व का प्रमाण पत्र अप्रार्थी संख्या दो पहले ही दिनांक 23.10.2009 को प्रार्थी के पिता के पक्ष में जारी कर चुकी है और उस स्वामित्व प्रमाण पत्र के आधार पर वह भूमि प्रार्थी के पिता प्रार्थी और उसके भाई जगदीश को जरिये रजिस्टर्ड बेचाणनामा दिनांक 26.10.2009 के बेचान कर चुके हैं और अप्रार्थी संख्या 02 उस बेचान के आधार पर यह भूमि जरिये मिसल संख्या 316/2012-13 में दिनांक 20.09.2013 को प्रार्थी और उसके भाई को विक्रय विलेख जारी करने का प्रस्ताव ले चुके हैं, निर्णय कर चुके हैं। इस कारण भी वादग्रस्त विक्रय विलेख और उसमें उल्लेखित संकल्प संख्या 6 अपास्त किये जाने योग्य है।

यह कि, वादग्रस्त विक्रय विलेख से संबंधित भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो द्वारा उपर उल्लेखित स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 23.10.2009 जारी करने से पहले से प्रार्थी के पिता और उसके पूर्वजों का कब्जा रहा, तत्पश्चात उक्त स्वामित्व प्रमाण पत्र के आधार पर यह भूमि दिनांक 26.10.2009 को प्रार्थी और प्रार्थी के भाई को जरिये रजिस्टर्ड बेचाणनामों के बेचाण करने के बाद इस भूमि पर प्रार्थी और प्रार्थी के भाई जगदीश का लगातार कब्जा रहा है। इस भूमि से अप्रार्थी संख्या एक का कोई संबंध नहीं रहा, अप्रार्थी संख्या एक का कभी कब्जा नहीं रहा उसमें उल्लेखित संकल्प संख्या 6 अपास्त किये जाने योग्य है।

यह कि, जिस वर्ष और दिनांक को पट्टा जारी करना बताया जाता है उस समय पट्टा जारी करने के जो नियम थे, उन नियमों की भी कोई पालना होना पंचायत के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है और कोई पालना नहीं हुई, क्योंकि उस समय के प्रचलित नियमों में पट्टा जारी करने की जो प्रक्रिया थी वे नियम 140 से चालू होते थे। नियम 140 "आबादी भूमि की परिभाषा" के संबंध में है। आबादी भूमि जो पंचायत सर्किल में स्थित हो एवं राज्य सरकार की किसी आज्ञा द्वारा या उसके अधिन पंचायत में निहित हो। वादग्रस्त पट्टे की भूमि राज्य सरकार की किसी आज्ञा द्वारा पंचायत में निहित की गई हो, ऐसी कोई आज्ञा पंचायत में नहीं है। नियम 141 "भूमि का विक्रय" के संबंध में प्रावधान करती है कि किसी पंचायत द्वारा भूमि के सभी विक्रय साधारणतया निलाम के माध्यम से किये जायेंगे, जब तक ऐसा न करने के विशेष कारण न हो। पंचायत ऐसी भूमियों को अग्रिम रूप से नियत किये गये निलामी कार्यक्रम के माध्यम से विक्रय विलेख से संबंधित वादग्रस्त भूमि का विक्रय निलामी के द्वारा नहीं किया। नियम 143 में भी आबादी क्षेत्र में भूखण्डों का निलाम किया जाना प्रावधान किया गया है परन्तु ग्राम पंचायत ने इस वादग्रस्त विक्रय विलेख को निष्पादन करते समय इस नियम का पालन नहीं किया। नियम 145 "क्रय के लिए आवेदन" के संबंध में है जो स्पष्ट रूप से प्रावधान करते हैं कि "पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूट हुआ भूखण्ड का पट्टी खरीदने का ईच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को

—P
P.T.O.




लिखित आवेदन उसमें उसका विवरण देते हुए करेगा जो क्रय के लिए प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिए पर्याप्त हो। आवेदक अपने आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्यय के पेटे 25 रुपये जमा करवायेगा। ऐसे मामले में सचिव आवेदक की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण करने के पश्चात स्थल नक्शा तैयार करेगा। जबकि वादग्रस्त विक्रय विलेख को जारी करते समय अप्रार्थी संख्या एक ने इस नियम के अनुरूप कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था और न ही आवेदन के साथ 25 रुपये की राशि जमा करवाई थी। और न ही इस मामले में सचिव ने आवेदक की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण करने के पश्चात स्थल नक्शा तैयार किया।

यह कि, नियम 146 "स्थल निरीक्षण" बाबत प्रावधान करता है कि जिसके उपनियम 1 में सचिव ऐसे आवेदन को प्रारूप 21 में एक रजिस्टर में रजिस्टर करेगा और फाईल खालेगा। जबकि वादग्रस्त विक्रय विलेख जारी करने से पूर्व ऐसी कोई पत्रावली/फाईल नहीं खोली। उप नियम 2 में प्रावधान है कि सचिव ऐसी लम्बित फाईल को स्थल निरीक्षण के लिए तीन पंचों की कोई समिति प्रतिनियुक्त करने के लिए पंचायत की आगामी बैठक में रखेगा। जबकि वादग्रस्त विक्रय विलेख जारी करने से पूर्व ऐसे नियम का पालन नहीं किया गया। उपनियम 3 में प्रावधान है कि पंच 15 दिन के भीतर भीतर स्थल निरीक्षण करेगा और राज. पंचायती राज. नियम के तहत विचार करके आवेदित विक्रय की वांछनियता के संबंध में पंचायत को अपनी राय देंगे। जबकि वादग्रस्त विक्रय विलेख के संबंध में पंचों ने स्थल का निरीक्षण किया ही नहीं और न ही ऐसी कोई राय पंचायत को दी है।

यह कि नियम 147 "अंतिम विनिश्चय" के प्रावधान करता है कि पंचायत किसी बैठक में अंतिम रूप से यह विनिश्चय करेगी कि प्रस्तावित विक्रय किया जाए या नहीं। जबकि वादग्रस्त विक्रय विलेख जारी करने से पूर्व पंचायत ने ऐसा कोई अंतिम विनिश्चय किया ही नहीं था।

यह कि नियम 148 "नोटिस का जारी और प्रकाशित किया जाना" प्रावधान करता है कि पंचायत प्रस्तावित विक्रय के संबंध में एक नोटिस इसके प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर भीतर आक्षेप आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी, जो नोटिस दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा और उसकी प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाई जाएगी और दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के पश्चात पत्रावली में सलग्न की जाएगी। जबकि वादग्रस्त विक्रय विलेख जारी करने की प्रक्रिया में ऐसे नियम का पालन नहीं किया गया और न ही ऐसा कोई नोटिस प्रकाशित किया और न ही उस नोटिस को प्रस्तावित भूमि के सहजदृश्य स्थान पर चस्पा किया गया।

यह कि नियम 149 "आक्षेपों का निपटारा" के बाबत प्रावधान है कि नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप यदि कोई हो पंचायत संबंधों के पक्षों को समुचित अवसर देकर निपटाएगी। जबकि विक्रय विलेख जारी करने से पूर्व पंचायत की ओर से ऐसे कोई आक्षेप


 सचिव, पंचायत
 प. त. ओ.
 P.T.O.



आमंत्रित ही नहीं किये थे, तो उन्हें आक्षेप प्राप्त होने तथा उन्हें निपटाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

यह कि, नियम 150 "भूमि का निलाम किया जाना" प्रावधान करता है कि यदि नियम 148 के अधीन कोई भी आक्षेप एक माह के भीतर भीरत प्राप्त न हो या यदि प्राप्त हुए सभी आक्षेप का नियम 149 के अधीन खारिज कर दिये गये हो तो पंचायत संकल्प द्वारा, विक्रय के प्रस्तावित भूमि के, किसी ऐसी तारीख को जो संकल्प के आदेश की तारीख से एक माह पूर्व की न हो, और विनिर्दिष्ट तारीख, समय और स्थान पर, निलाम का आदेश देगी। जबकि वादग्रस्त विक्रय विलेख जारी करते समय इस नियम की पालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई, जो पालना किया जाना आज्ञापक थी।

यह कि, नियम 151 "निलामी समिति" प्रावधान करता है, परन्तु वादग्रस्त विक्रय विलेख जारी करने की प्रक्रिया में ऐसी कोई समिति का निर्माण या गठन नहीं किया गया।

यह कि नियम 152 "बाजार किमत" प्रावधान करता है, परन्तु वादग्रस्त विक्रय विलेख जारी करते समय ग्राम पंचायत की ओर से बाजार किमत के माफिक विक्रय विलेख जारी नहीं किया गया।

यह कि, नियम 156 "प्राईवेट बातचित द्वारा आबादी भूमि के अंतरण" के बाबत् प्रावधान करता है, जिसमें उपनियम (1) के अनुसार पंचायत किसी आबादी भूमि को प्राईवेट बातचित द्वारा विक्रय के जरिये निम्नलिखित मामलों में अंतरिम कर सकेगी :-


क. जहां किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत हो और निलाम से उचित किमत प्राप्त नहीं हो सकती।

ख. जहां कोई अतिचार हो या लेखबद्ध किये जाने वाले किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती हो कि निलाम उस भूमि के निवृत्तन का सुविधाजनक ढंग नहीं होगा।

ग. जहां तक नियम 144 के उपनियम 1 व 2 के अनुसार भूमि की कोई पट्टी हो और एक ही आवेदक हो। ग्राम पंचायत ने इस नियम के तहत जारी करने वाले आज्ञापक प्रावधानों व नियमों की पालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई।

यह कि, पंचायत में इस विवादग्रस्त पट्टे की निलामी की कोई मिसल नहीं है एवं वादग्रस्त विक्रय विलेख से संबंधित भूमि पर प्रार्थी व उसके भाई का शुरु से ही कब्जा था तो उसी भूमि का विक्रय विलेख ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जारी किया जा ही नहीं सकता था।

यह कि, वादग्रस्त पट्टे की आड़ में अप्रार्थी संख्या एक अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध रूप से निर्माण करवा रहा है, इस कारण भी इस पट्टे को निरस्त किया जाना आवश्यक है।


 जिला मजिस्ट्रेट
 जिला-पानीपत

यह कि, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पट्टा जारी करने की उपर के पदों में दर्ज अनुसार एक सुरथापित प्रक्रिया है और सुरथापित प्रक्रिया के तहत ही ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र की आबादी भूमि का ही पट्टा जारी कर सकती है। इस प्रकरण में के पदों में दर्ज जैसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, इससे भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त पट्टे को जारी करने के संबंध में कोई मिसल कभी कायम नहीं हुई और कोई कार्यवाही भी नहीं हुई, कोई संकल्प भी नहीं लिया गया और कोई राशि भी जमा नहीं हुई है। इन परिस्थितियों में भी वादग्रस्त विक्रय विलेख निरस्त किये जाने योग्य है।


यह कि, दिनांक 16.01.2022 को अप्रार्थी संख्या एक द्वारा मौके पर अवैध रूप से निर्माण करवाना प्रारंभ करने पर और उसके द्वारा वादग्रस्त विक्रय विलेख बाबत बताने पर और प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो से वादग्रस्त विक्रय विलेख और उससे संबंधित मिसल और संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग करने पर दिनांक 17.01.2022 को सिर्फ विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने पर वादग्रस्त विक्रय विलेख की जानकारी हुई है, जानकारी होते ही जानकारी से अंदर म्याद यह पंचायत निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

यह कि वादग्रस्त विक्रय विलेख जिस भूमि का जारी किया गया है उस भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र अप्रार्थी संख्या दो पहले ही दिनांक 23.10.2009 को प्रार्थी के पिता के पक्ष में जारी कर चुकी है और उस स्वामित्व प्रमाण पत्र के आधार पर इस भूमि का रजिस्टर्ड बेचाननामा प्रार्थी और प्रार्थी के भाई जगदीश के पक्ष में दिनांक 26.10.2009 को निष्पादित होकर पंजीयन हो रखा है और उसके आधार पर अप्रार्थी संख्या दो दिनांक 20.09.2013 को प्रार्थी और उसके भाई को विक्रय विलेख जारी करने का निर्णय कर चुकी है इस कारण वादग्रस्त विक्रय विलेख की आड़ में प्रार्थी और उसके भाई की मालिकाना, खरीदसुदा, कब्जा सुदा भूमि पर अवैध रूप से निर्माण करने पर अमादा है, इस कारण प्रार्थी को यह पंचायत निगरानी प्रस्तुत करने का कारण उत्पन्न हुआ है।

अतः पंचायत निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त पट्टा/आबादी भूमि का विक्रय विलेख संख्या 256 दिनांक 13.09.2021, जो अप्रार्थी संख्या दो ग्राम पंचायत, लुणावा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक श्री हसमुखलाल के नाम से मिसल संख्या 67/2020-21 दायरा तारीख 22.03.2021 में जारी करना बताया है, को निरस्त फरमावें एवं इस पट्टे/विक्रय विलेख में उल्लेखित जैसा कोई संकल्प हो तो उसे भी निरस्त किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण एवं ग्राम पंचायत से मूल रिकॉर्ड तलब किया। अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस सुनने का निवेदन किया।

सर्वप्रथम, दोनों पंचायत निगरानियों में सारभुत कानूनी बिन्दु निहित होने तथा प्रकरण का गुणावगुण आधार पर विनिश्चय करने हेतु प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05


 अधिवक्ता
 कक्षा, निगरानी
 P.T.O.

परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर हस्तगत दोनों प्रकरणों को म्यादशुमार घोषित किया जाता है

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान दोनों निगरानियों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी पक्ष में ग्राम पंचायत लुणावा द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 23.10.2009 के विरुद्ध अप्रार्थीपक्ष के द्वारा पंचायत समिति बाली में पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील एवं निर्णय दिनांक 24.07.2019 'प्रारम्भतः शून्य' है क्यों कि उक्त प्रमाण पत्र आदेश की श्रेणी में नहीं आता है एवं अपील स्थायी समिति द्वारा निर्णीत न होकर तत्कालीन प्रधान द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित की गई है। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी निवेदन किया कि ग्राम पंचायत लुणावा द्वारा दिनांक 20.09.2013 को प्रार्थीगण के पक्ष में पट्टा जारी करने का संकल्प पारित करने के उपरांत अप्रार्थी के पक्ष में जरिए संकल्प संख्या 06 दिनांक 05.08.2021 जैर-आलोच्य भू-पट्टी का पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया तथा विक्रय विलेख संख्या 256 दिनांक 13.09.2021 के पट्टा जारी कर दिया गया, जो कि अवैधानिक होने से अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि, जैर आलोच्य पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत लुणावा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 से 154 में उपबंधित प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है नीलामी संबंधि कोई कार्यवाही प्रभाव में लाने के दस्वावेज रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। आलोच्य भू पट्टी के संबंध में जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 23.10.2009 के आधार पर प्रार्थीपक्ष का स्वामित्वाधिकार था, किन्तु प्रार्थीपक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा संख्या 256 जारी कर दिया गया, जिसे निरस्त किया जाए।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष ने पंचायत निगरानी 46/2024 बउनवान शंकरलाल बनाम स्वर्गीय कमलाबेन के कायम मुकाम हसमुख में लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थीगणों के विरुद्ध सरासर गलत एवं निराधार याचिका प्रस्तुत की है जो प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। यह कि, प्रार्थी याचिकाकर्ता को पंचायत समिति बाली के स्थापना समिति के समक्ष सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने एवं याचिकाकर्ता के प्रत्युत्तर के बाद ही विधिवत रूप से प्रार्थी याचिकाकर्ता का फर्जी कुटरचित सम्पत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत की लेटर पेड़ पर बिना डिस्पेच नम्बर का बनाया जो कानूनन अवैध है

यह कि, प्रार्थी याचिकाकर्ता द्वारा अप्रार्थी प्रत्यर्थीगण संख्या एक की पुश्तैनी कब्जा शुदा, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि जो अप्रार्थीगण के पुश्तैनी रहवासीय पट्टा शुदा मकान के दरवाजे के आगे की भूमि को हड़पने की नीयत से सरासर कुटरचित बिना ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में इन्द्राज एवं बिना विधिवत प्रस्ताव व बिना कब्जा के उक्त भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र तैयार कर भूमि हड़पने की नाजायज कोशिश की, चेष्टा की गई, जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या एक एवं उनके परिवार को होते ही उक्त कुटरचित स्वामित्व मात्र को विधिवत् रूप से निरस्त किये जाने की अपील पंचायत समिति की स्थापना समिति में पेश की गई, जिस पर

अधिवक्ता
P.T.O. न-प्रासी



पंचायत समिति में विधिवत् रूप से प्रार्थी याचिकाकर्ता जवाब प्रत्युत्तर के बाद विधिवत बयान, जांच मौका निरीक्षण कर उक्त स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 23.10.2009 को निरस्त किया गया, जो विधिवत रूप से किया गया।

यह कि, प्रार्थी याचिकाकर्ता द्वारा अपनी कब्जाशुदा स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करवाया जाना सरसर गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी याचिकाकर्ता का कभी उक्त भूमि पर कब्जा स्वामित्व नहीं रहा है, जिसकी पुष्टि प्रार्थी शंकरलाल द्वारा अप्रार्थीगण संख्या एक के परिवार कुटुम्ब के शांतिलाल व ग्राम पंचायत लुणावा के विरुद्ध एक सिविल दावा बाबत कब्जा का प्रस्तुत किया, जो दावा प्रार्थी याचिकाकर्ता का निरस्त किया गया, एवं उक्त भूमि ग्राम पंचायत लुणावा की होना निर्णीत हुई। जब माननीय सिविल न्यायालय द्वारा शंकरलाल प्रार्थी याचिकाकर्ता का कब्जा शुदा होना सरसर गलत है, जिससे याचिका कर्ता की याचिका निरस्त होने योग्य हैं।

यह कि याचिकाकर्ता द्वारा मात्र अप्रार्थी संख्या एक की पुश्तैनी कब्जाशुदा, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि को हड़पने की नियत से सरसर गलत झूठा संपत्ति प्रमाण पत्र तैयार किया जो प्रथमदृष्टया निरस्त होने योग्य है, जब प्रार्थी याचिकाकर्ता का उक्त भूमि पर कभी कब्जा ही नहीं रहा है, तो संपत्ति प्रमाण पत्र जारी होना गलत है।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि, प्रार्थी/रिविजनकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई रिवीजन याचिका को खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान निवेदन किया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 में कहीं भी ग्राम पंचायत को किसी भूखण्ड विशेष के संबंध में किसी व्यक्ति के पक्ष में स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। सरपंच द्वारा विधि प्रदत्त अधिकारों से परे जाकर जारी उक्त स्वामित्व प्रमाण पत्र 'प्रारम्भतः ही शून्य' था, जिसे अधिनियम, 1994 की धारा 61 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'प्रशासन एवं स्थायी स्थापना समिति,' पंचायत समिति बाली द्वारा वैधानिक रूप से निर्णय पारित करते हुए ही निरस्त किया गया। यह कि, उक्त स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 23.10.2009 को खारिज कर दिए जाने के उपरांत प्रार्थीपक्ष का जैर आलोच्य भूखण्ड पर कोई क्लेम नहीं बनता है, इस कारण हस्तगत निगरानी खारिज की जाए। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि अप्रार्थी ने पंचायत द्वारा निर्णीत राशि जमा करवाकर जैर आलोच्य भू-पट्टी का पट्टा प्राप्त किया है एवं यदि ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित की जाती है तो उसका दण्ड अप्रार्थी यानि पट्टाधारक को दिया जाना न्यायसंगत नहीं है।

अधिवक्तागण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना जाकर हस्तगत दोनों पत्रावलिियां एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन एवं विश्लेषण किया गया।

अति. रज. न्या. अधिकारी
बाली, जिला बाली
B.T.O.



प्रार्थीगण द्वारा जैर-आलोच्य भूखण्ड पर क्लेम का मुख्य आधार ग्राम पंचायत द्वारा उनके पक्ष में दिनांक 23.10.2009 को जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र है, जिसे अधिनियम, 1994 की धारा 61 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील में निरस्त कर दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त अपील संख्या 09/23.03.2017 में प्रदत्त निर्णय 24.07.2019 को चुनौति इस आधार पर दी गई है कि आलोच्य स्वामित्व प्रमाण पत्र के विरुद्ध अधिनियम की धारा 61 में अपील संघारणीय नहीं थी एवं अपील का निस्तारण स्थायी समिति के स्थान पर प्रधान, पंचायत समिति द्वारा किया गया, जो विधि अनुकूल नहीं है।

इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी श्री शंकरलाल के पक्ष में जारी विवादित भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 23.10.2009 सरपंच के हस्ताक्षर से जारी किया गया है, जिसके संबंध में न तो ग्राम पंचायत की बैठक में कोई प्रस्ताव पारित किया गया और न ही ग्राम पंचायत के डिस्पैच रजिस्टर में उक्त स्वामित्व प्रमाण पत्र का कहीं इन्द्राज है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं नियम 1996 में सरपंच द्वारा भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है इस संबंध में काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष का यह तर्क परिपोषणीय नहीं है कि उक्त विधि में भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने की मनाही भी नहीं है। भारत संविधान के मूल आधार 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' एवं 'विधि का शासन' (Rule of Law) के सिद्धांत हैं एवं किसी कानून में किसी विशिष्ट तथ्य के अंकन का अभाव किसी लोकसेवक/प्राधिकारी को अपरिमित शक्तियों के प्रयोग हेतु अधिकृत नहीं करता है। इस तरह प्रार्थी के पक्ष में जारी विवादित भूखण्ड का स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 23.10.2009 'प्रारम्भतः ही शून्य' (Ab intio Void) था। चूंकि उक्त स्वामित्व प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव या संकल्प के अभाव में जारी किया गया था, अतः इसे सामान्य प्रशासनिक आदेश की श्रेणी में ही माना जाएगा, जिसके विरुद्ध राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 61 के अन्तर्गत अपील वैधानिक रूप से संघारणीय एवं विधिअनुकूल थी, ऐसा न्यायालय हाजा का विनम्र अभिमत है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपील प्रकरण संख्या 09/23.03.2017 में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2019 स्थायी समिति द्वारा पारित निर्णय नहीं था अपितु सम्पूर्ण कार्यवाही प्रधान द्वारा संपादित की गई। किन्तु उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से काबिल अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार्य नहीं है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 56 सपठित धारा 55 'क' में प्रावधानानुसार पंचायत समिति की स्थायी समिति का अध्यक्ष 'प्रधान' होता है। अतः परिवादिया स्वर्गीय श्रीमती कमलाबेन द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों, प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 03.06.2019 (जिसके द्वारा जैर आलोच्य स्वामित्व प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया) पर प्रधान के हस्ताक्षर व्यक्तिगत क्षमता में नहीं होकर "प्रशासन एवं स्थायी स्थापना समिति" के अध्यक्ष के रूप में किए प्रतीत होते हैं। साथ ही, रिकॉर्ड के प्रारम्भिक अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट है कि उक्त अपील अन्तर्गत धारा 61

५/३

अभि. B.T.O. सोरठर .



का निर्णय 'प्रशासन एवं स्थायी स्थापना समिति' द्वारा ही किया गया है, क्यों कि अपील मीमों पर अंकित प्रारम्भिक टिप्पणी, कार्यवाही वृत्तान्त, प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 03.06.2019 एवं उसके अनुक्रम में जारी निर्णय क्रमांक/1636 दिनांक 24.07.2019 में सभी स्थानों पर 'प्रशासन एवं स्थायी स्थापना समिति' का स्पष्ट शब्दों में अंकन है।

इस संबंध में न्यायालय हाजा का यह स्पष्ट मत है कि यदि कोई आदेश अथवा निर्देश 'प्रारम्भतः शून्य' (Ab initio Void) है, तो तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक त्रुटियों को इंगित कर उसे विधिमान्य घोषित नहीं किया जा सकता।

प्रार्थी का यह तर्क भी परिपोषणीय नहीं है कि उक्त अपील पर निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। प्रशासन एवं स्थायी स्थापना समिति, पं. स. बाली द्वारा अपील में प्रदत्त निर्णय दिनांक 24.07.2019 एवं मूल रिकॉर्ड में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर दिनांक 22.05.2019 सलग्न है।

अतः प्रार्थी श्री शंकरलाल के पक्ष में जारी जैर आलोच्य भूखण्ड के भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र को अधिनियम 1994 के धारा 61 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण संख्या 09/23.03.2017 में 'प्रशासन एवं स्थायी स्थापना समिति' पं.स. बाली द्वारा प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 03.06.2019 एवं निर्णय दिनांक 24.07.2019 के द्वारा निरस्त करने की कार्यवाही वैधानिक थी जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप वांछित नहीं है।

पंचायत निगरानी संख्या 83/2024 में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी श्री हसमुखलाल के पक्ष में जारी जैर आलोच्य भूखण्ड के पट्टा संख्या 256 दिनांक 13.09.2021 एवं संकल्प संख्या 06 दिनांक 05.08.2021 को निम्न आधारों पर चुनौति दी गई है :-

1. स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 23.10.2009 के आधार पर जैर आलोच्य भूखण्ड पर प्रार्थीगण का वैधानिक क्लेम होने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया।
2. ग्राम पंचायत लुणावा द्वारा मिसल संख्या 316/2012-13 में निर्णय दिनांक 20.09.2013 के द्वारा जैर आलोच्य भूखण्ड का पट्टा प्रार्थीगण के पक्ष में जारी करने के निर्णय के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया।
3. जैर आलोच्य पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 141 से 154 की पालना नहीं की गई एवं बिना किसी निलामी समिति के गठन इत्यादि के जैर-आलोच्य विक्रय विलेख अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया, जो अपास्त किया जाए।

उपरोक्त आधारों का विस्तृत विवेचन निम्नानुसार है:-


अतिरिक्त प्रतीक केवल
बाली निगम-पाली
P.T.O.



प्रथमतः, जैसा कि पूर्व पैराग्राफ में विनिश्चित किया जा चुका है कि प्रशासन एवं स्थायी स्थापना समिति, प.स. बाली द्वारा जैर आलोच्य भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 23.10.2009 को जरिये प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 03.06.2019 एवं निर्णय दिनांक 24.07.2019 से पूर्णतः वैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए निरस्त किया जा चुका है। जैर निगरानी संकल्प संख्या 06 दिनांक 05.08.2021 एवं विक्रय विलेख संख्या 256 दिनांक 13.09.2021 से पूर्व ही उक्त भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र को अपील के अन्तर्गत निरस्त किया जा चुका था। अतः उक्त भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र तथा उसके आधार पर प्रार्थी श्री शंकरलाल द्वारा अपने पुत्रों तथा प्रार्थी के पक्ष में किए गए बेचान दिनांक 26.10.2009 से प्रार्थीगण को जैर निगरानी भूखण्ड के पक्ष में कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं। अर्थात् विवादित भूखण्ड के संबंध में प्रार्थी का न तो वैधानिक क्लेम बनता है और न ही व इस संबंध में 'हितबद्ध पक्षकार' हैं।

द्वितीयतः, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत लुणावा द्वारा मिसल संख्या 316/2012-13 में दिनांक 20.09.2013 को निर्णय लिया गया कि प्रार्थी धमेन्द्र कुमार एवं जगदीश कुमार के पक्ष में विवादित भूखण्ड का राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुश्तैनी कब्जा होने से 100/- 200/- रुपये लिए जाकर प्रार्थी के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया जाए। इस संबंध में यह अंकन करना महत्वपूर्ण है कि उक्त नियम 157 पुराने गृहों का विनियमितीकरण से संबंधित उपबन्ध है, जबकि ग्राम सचिव एवं सरपंच ग्राम पंचायत लुणावा द्वारा विकास अधिकारी प.स. बाली के आदेश क्रमांक/526 दिनांक 15.05.2019 की पालना में प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक/36 दिनांक 01.06.2019 में विवादित भूखण्ड पर किसी प्रकार के पुराने घर का अस्तित्व नहीं होना पाया गया। स्वयं प्रार्थी शंकरलाल द्वारा अपने पुत्रों प्रार्थी धर्मेन्द्र कुमार एवं जगदीश कुमार के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 26.10.2009 में उक्त विवादित भूखण्ड पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होने का स्पष्ट अंकन किया है। इस प्रकार यह समझ से परे है कि ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूखण्ड पर बिना किसी पुश्तैनी घर के होते हुए भी प्रार्थी के पक्ष में नियम 157 के अन्तर्गत विक्रय विलेख जारी करने का निर्णय किस आधार पर लिया गया। अतः ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 316/2012-13 में निर्णय दिनांक 20.09.2013 द्वारा लिया गया निर्णय पूर्णतः विधिविरुद्ध एवं क्षेत्राधिकार से परे जाकर लिया गया निर्णय घोषित किया जाता है।

तृतीयतः, प्रार्थी द्वारा जैर आलोच्य संकल्प वं एवं पट्टे के विरुद्ध यह आपत्ति प्रस्तुत की गई कि इस सन्दर्भ में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 से 154 की पालना नहीं की गई अर्थात् निलामी समिति का गठन, एवं ग्राम पंचायत द्वारा पूर्वानुमोदन इत्यादि के अभाव में अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड मिसल संख्या 67/2020-21 का अवलोकन किया गया। जैर-आलोच्य संकल्प संख्या 06/05.08.2021 के पठन से स्पष्ट होता है कि विवादित भू-पट्टी का अप्रार्थी हंसमुखलाल के पक्ष में विक्रय विलेख जारी करने का निर्णय राजस्थान पंचायती राज नियम


 जैर निगरानी कलेक्टर
 बाली प.स. बाली

1996 के नियम 156 की पूर्वापेक्षा में लिया गया है। नियम 156 (1)(ग) प्राइवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि उस अंतरण को उपबंधित करता है जहां नियम 144 के उपनियम (01) एवं (2) के अनुसार भूमि की कोई पट्टी हो और एक ही आवेदक हो। ग्राम पंचायत लुणावा के प्रस्ताव 09 दिनांक 21.06.2021 में भी स्पष्ट अंकन है कि "..... उक्त भूमि पर प्रार्थी के स्वामित्व का दावा न्यायसंगत है और निलाम से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती है साथ ही निलाम से इस भूमि के निर्वतन का कोई सुविधाजनक ढंग नहीं होगा। उक्त भूमि का आवेदक भी एक है। अतः बैठक प्रस्ताव संख्या 09/21.06.2021 द्वारा नियम-147 के तहत अंतिम विनिश्चय किया गया कि आवेदक को उनके प्रस्तावित भूखण्ड/भू-पट्टी राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 आपासी बातचीत द्वारा बाजार दर से आबादी भूमि का अंतरण कर पट्टा जारी किया जावे। (.....)"

मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पट्टा जारी करने से पूर्व नियम 148 की पूर्वापेक्षा में आक्षेप आमंत्रित किये गए थे। नोटिस की पुष्ट पर चस्पानगी के रूप में दो गवाहों के हस्ताक्षर भी अंकित हैं। तदन्तर, कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं होने पर ग्राम पंचायत लुणावा द्वारा जरिए संकल्प संख्या 06 दिनांक 05.08.2021 से अप्रार्थी संख्या 01 के पुश्तैनी मकान के आगे स्थित उक्त भू-पट्टी बमाप 1200 वर्गफीट का पट्टा नियम 156 के तहत उपपंजीयक द्वारा नियत बाजार दर राशि 273/- प्रति वर्गफीट के आधार पर शुल्क रुपये 3,27,980/- की अदायगी पर अप्रार्थी के पक्ष में जारी करने का निर्णय लिया गया।

इस प्रकार प्रार्थी अधिवक्ता का यह तर्क दस्तावेजी आधार पर सिद्ध नहीं होता है कि निलामी समिति का गठन एवं निलामी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही उक्त पट्टा जारी किया गया, क्यों कि जैर आलोच्य पट्टा नियम 156 के प्रावधानान्तर्गत जारी किया गया है, जिस हेतु निलामी समिति एवं निलामी की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 147, 148 एवं 154 की पालना किया जाना भी दस्तावेजी साक्ष्यों (मूल रिकॉर्ड मिसल संख्या 67/2020-21) से प्रमाणित होता है।


नियम 145(2) के अन्तर्गत शुल्क राशि 25/- एवं नियम 146(1) के अन्तर्गत प्रारूप-21 में रजिस्टर संधारण के संबंध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति के सन्दर्भ में काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष का यह तर्क स्वीकार योग्य है कि ग्राम पंचायत द्वारा की गई किसी सूक्ष्म प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए पट्टाधारक को दण्डित किया जाना उचित नहीं है, जिसने ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क राशि जमा करवाकर विक्रय विलेख प्राप्त किया है। यदि कोई शुल्क राशि नियम 145(2) के अन्तर्गत अप्राप्त है, तो ग्राम पंचायत पट्टाधारक को वसूली नोटिस जारी कर वसूल कर सकती है, किन्तु इस हेतु सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन कर जारी किए गए विक्रय विलेख को प्रश्नगत करना न्यायसंगत नहीं है, ऐसा न्यायालय हाजा का विनम्र अभिमत है।


५/३
अति-उप-सहायक
दाली, जिला-पारसी

अतः उपरोक्त आधारों पर ग्राम पंचायत लुणावा द्वारा गिसल संख्या 67/2020-21 के संबंध में पारित संकल्प संख्या 06 दिनांक 05.08.2021 एवं अप्रार्थी संख्या 01 श्री हंसमुखलाल के पक्ष में जारी जैन निगरानी भूपट्टी के विक्रय विलेख संख्या 34 पट्टा बुक सं. 256 दिनांक 13.09.2021 विधि अनुकूल होने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है।

लिहाजा, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो पंचायत निगरानियां प्रकरण संख्या 46/2024 एवं 83/2024 सारहीन होने से खारिज की जाती है

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।




(शिलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
वाली, जिला जaisalmer